कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.)

दूरभाष 07775–266125, फैक्स–07775–266125, 07775–266155,
Email: surajpur.election@gmail.com, deo-surajpur.cg@nic.in

क्रमांक 671 / निर्वा.पर्य. / प्रेस विज्ञप्ति / 2018 सूरजपुर, दिनांक 01/09/2018

//प्रेस विज्ञप्ति//

सूरजपुर, 01 सितम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली के निर्देश संख्या–23 / छ0ग0 / 2018 / (विशेष) दिनांक 21 अगस्त, 2018 के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 का कार्यक्रम प्रदेश में चलाया जा रहा है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा संशोधित करने संबंधी कार्यवाही आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 31 जुलाई, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि में प्रस्तुत किया जाना था, जिसमें आयोग द्वारा संशोधित करते हुए इसे दिनांक 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से दिनांक 07 सितम्बर, 2018 (शुक्रवार) तक की वृद्धि कर दिया गया है। समय–सीमा में वृद्धि पश्चात् मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा संशोधन हेतु दिनांक 07 सितम्बर, 2018 (शुक्रवार) तक प्रत्येक मतदान केन्द्रों में बीएलओ एवं अभिहित अधिकारी के माध्यम से दावा / आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वे nvsp.in वेबसाईट के माध्यम से भी ऑनलाईन दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 672 / निर्वा.पर्य. / प्रेस विज्ञप्ति / 2018 सूरजपुर, दिनांक 01/09/2018

प्रतिलिपिः–

1. उप संचालक, जनसंपर्क सूरजपुर छ0ग0 को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी (DIO), NIC सूरजपुर छ0ग0 की ओर जिले के वेबसाइट www.surajpur.gov.in के सामान्य निर्वाचन लिंक में अपलोड किये जाने हेतु सम्प्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर
दूरभाष– 2236685– फैक्स–0771–2224476,2236684,
Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

क्रं.–01 / 03 / निर्वा.नामा. / पुनरीक्षण–18 / 2017–18 / 3284 रायपुर, दिनांक 31-08-18

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त (छ0ग0)

विषयः–फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 अर्हता तिथि 01.01.2018 –दावे / आपत्तियों प्राप्त करनें की समय–सीमा में वृद्धि बावत् ।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक–2986, दिनांक 21.08.2018.

विषयान्तर्गत कार्यालयीन संदर्भित पत्र का अवलोकन हो । उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली के निर्देश संख्या–23 / छ0ग0 / 2018 / (विशेष) दिनांक 31 अगस्त, 2018 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेंषित है ।

कृपया आयोग के द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2018 अर्हता तिथि 01.01.2018 की स्थिति में दावे / आपत्ति दिनांक 31 जुलाई, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि में प्रस्तुत किया जाना था, जिसमें **आयोग द्वारा संशोधित करते हुये इसे दिनांक 31 अगस्त, 2018 (शुकंवार) से दिनांक 07 सितम्बर, 2018 (शुकवार) तक की वृद्धि कर दिया गया है । इसका आपके जिले में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये साथ ही सभी राजनैतिक दलों को लिखित रूप से सूचित कर दिया जाये ।**

कृपया आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये सर्व संबंधितों के संज्ञान में लाया जावे ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

31/8/18
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़,रायपुर

..................2

पृ. क्र.–01/03/निर्वा.नामा./पुनरीक्षण–18/2017–18/3285 रायपुर, दिनांक 31-08-18.

प्रतिलिपिः–

1. संभागायुक्त एवं रोल आर्ब्जवर, समस्त (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. समस्त शाखा मुनिप कार्यालय की ओर सूचनार्थ ।
3. गार्ड फाइल में संधारण हेतु ।

31/8/18

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़,रायपुर

ई–मेल / स्पीडपोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक :– 31 अगस्त, 2018

मि0 सं0 23 / छ0ग0 / 2018 (विशेष)

प्रति,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
छत्तीसगढ़
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2018 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की है तथा दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की तिथि, जोकि दिनांक 31–7–2018 (मंगलवार) से दिनांक 31–8–2018 (शुक्रवार) तक है, को संशोधित करते हुये इसे दिनांक 31–8–2018 (शुक्रवार) से दिनांक 7–9–2018 (शुक्रवार) तक कर दिया गया है। कार्यक्रम में इस संशोधन का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये और साथ ही में राजनैतिक दलों को लिखित रूप में भी सूचित कर दिया जाये।

2. इस संबंध में आयोग की दिनांक 31 अगस्त, 2018 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या 23 / छ0ग0 / 2018 (विशेष) की प्रति, इसके हिन्दी अनुवाद सहित, आपको भेजी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करने की व्यवस्था करा दी जाये। साथ ही उस राजपत्र, जिसमें इस अधिसूचना का प्रकाशन किया गया हो, की तीन प्रतियां रिकार्ड हेतु आयोग को भी भेज दी जाये।

भवदीय,

(रितेश सिंह)
अवर सचिव

...सगढ़ राज्य के राजपत्र के
असाधारण अंक में तत्काल
प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिनांक :– 31 अगस्त, 2018
9 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

संख्या 23/छ0ग0/2018 (विशेष) :– यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 7 मई, 2018 के अपने पत्र संख्या 23/पत्र/प्रकार्या/इ.आर.डी–ई आर/2018 के द्वारा 01 जनवरी, 2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ राज्य की निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यतः, राज्य में प्रारूप नामावलियां, 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) को प्रकाशित कर दी गई थी; और

यतः, छत्तीसगढ़ राज्य में दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से 31 अगस्त, 2018 (शुकवार) तक नियत की गई थी; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में पुनरीक्षण प्रकिया की प्रगति की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि दावों और आपत्तिंयों को प्रस्तुत करने की समयावधि को 7 सितम्बर, 2018(शुकवार) तक़ और आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए ;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्टीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 01 जनवरी, 2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, निर्वाचक नामावलियों के चल रहे द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख को 7 सितम्बर, 2018 (शुकवार) तक विस्तारित करता है।

आदेश से,

(नरेन्द्र ना0 बुटोलिया)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

TO BE PUBLISHED IN AN EXTRAORDINARY ISSUE OF THE CHHATTISGARH STATE GOVERNMENT GAZETTE IMMEDIATELY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated:- 31st August, 2018
9 Bhadrapada, 1940 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 23/CG/2018 (Special), Whereas, the Election Commission had announced the schedule for Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1st January.2018 as the qualifying date, of Chhattisgarh State, vide its letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, Dated 07th May, 2018; and

Whereas, the draft rolls were published on 31st July, 2018 (Tuesday) in the State; and

Whereas, the period for filing claims & objections in Chhattisgarh State was from 31st July, 2018 (Tuesday) to 31st August, 2018 (Friday); and

Whereas, the Election Commission has reviewed the progress of revision process in the state and decided that the period for filing claims & objections should be further extended up to 7th September, 2018(Friday);

Now, therefore, the Election Commission in exercise of the power conferred by the proviso to Rule 12 of the Registration of Electoral Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies in the state of Chhattisgarh, the period of filing claims & objections upto 7th September, 2018 (Friday) for the ongoing Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1st January, 2018 as the qualifying date.

By Order.

(NARENDRA.N.BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA